न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 48/2020

प्रार्थी :–

1 रामुराम पुत्र श्री हरदानराम
जाति विश्नोई निवासी उम्मेद नगर
तहसील तिवंरी जिला जोधपुर।

–: ब ना म :–

अप्रार्थी :–

1 राजस्थान सरकार जरीये
श्री तहसीलदार साहब, तिवंरी ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट.

निर्णय **दिंनाक :–6.1.2021**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के ग्राम उम्मेद नगर की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 397/2 रकबा 36 बीघा 12 बीस्वा भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी के पिता हरदानराम जी के नाम की थी उसके फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन भरते वक्त हल्का पटवारी ने रामुराम पुत्र श्री हरदानराम के स्थान पर रामदान पुत्र श्री हरदान नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया जो अशुद्ध है । प्रार्थी को अभी हाल ही मे राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम रामुराम के स्थान पर रामदान दर्ज है । जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के विकाश कार्य करवाने मे कठीनाई हो रही है इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अपना नाम रामदान दुरूस्त करवा कर रामुराम शुद्ध करवाना चाहता है । राजस्व रेकर्ड मे हल्का पटवारी की भूल से प्रार्थी का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिसे प्रार्थी राजस्व रकर्ड दुरूस्त करवा कर शुद्ध करवाने का अधिकारी है । उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी की वल्दियत गलत दर्ज की गई है जिसे यदि शुद्ध किया

सहायक कलेक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

जाता है तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। उपरोक्त खसरान की भूमि मे रामदान नाम के किसी व्यक्ति या औरत का कब्जा काश्त नही रहा है और न ही रामदान पुत्र श्री हरदानराम जाति बिश्नोई की वल्दियत की गांव मे कोई निवास करता है । उक्त खसरान की भूमि मे रामुराम का कब्जा काश्त है। प्रार्थी की सकुनत के लिए मतदाता ,राशन कार्ड , ग्राम पंचायत की तस्दीक, की फोटो प्रतिये प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम उम्मेद नगर की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 397/2 रकबा 36 बीघा 12 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी का नाम रामदान पुत्र श्री हरदान को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रामुराम पुत्र श्री हरदानराम शुद्ध किया जावे ।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव तहसीलदार तिवंरी की जांच रिपोर्ट मे खसरा नम्बर 397/2 रकबा 36 बीघा 12 बीस्वा के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज खातेदार का नाम रामदान पुत्र श्री हरदान दर्ज है जिसके स्थान पर रामुराम पुत्र श्री हरदानराम शुद्ध किया जाता है तो सह खातेदारो को कोई आपत्ती नही है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता हूं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम उम्मेद नगर के खसरा नम्बर 397/2 रकबा 36 बीघा 12 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी की वल्दियत रामदान पुत्र हरदान को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रामुराम पुत्र श्री हरदानराम दर्ज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

निर्णय आज दिंनाक 6.1.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर औसिया